



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 291) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

4 दिसम्बर 2019

सं० 1816— नवादा जिलान्तर्गत ग्राम-पो0— मड़वा, था0— पकरी वरावां, स्थित मड़वा अड़सनियां मठ पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 1517 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्रांक— 1351, दिनांक— 26/06/2000 द्वारा महंत रामानन्द शास्त्री को अपसारित करते हुए स्वामी रामानुजानंद जी को बि० हि० धा० न्यास अधिनियम की धारा— 33 के तहत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था।

श्री स्वामी जी अपने उक्त कार्यकाल के दौरान प्रारंभ में कुछ वर्षों (2004-05) का विवरण दि०— 29/04/2005 एवं आंशिक पर्षद शुल्क दाखिल किये थे। इसके पश्चात स्वामीजी द्वारा न तो कोई विवरण दाखिल किया गया और न ही पर्षद को देय शुल्क का भुगतान किया गया। इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हुयी कि महंत द्वारा न्यास की जमीन को रेहन, पट्टा एवं लीज आदि पर देने का कार्य अवैध रूप से किया जा रहा है। इस संबंध में पर्षदीय पत्रांक— 990, दि०— 23/06/15 द्वारा महंत से पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

इसी बीच अंचलाधिकारी, पकरी बरावां ने अपने पत्रांक— 449, दि०— 30/12/15 द्वारा पर्षद को सूचित किया गया कि महंत रामानुजानंद जी द्वारा दोनों न्यास की जमीन रेहन, पट्टा, बदलैन, दान, केवाला कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में अंचलाधिकारी से मांगे गये स्वच्छ छवि के अधिकतम 11 सदस्यों के नाम की मांग पर अंचलाधिकारी ने अपनी अध्यक्षता में दि०— 29/04/2017 द्वारा 11 सदस्यों की सूची पर्षद को प्रेषित किया, जिसका संबंधित थाना से चरित्र-सत्यापन कराया गया। थाना से प्राप्त प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं है, की जानकारी दी गयी। महंत रामानुजानंद को पुनः भेजे गए स्पष्टीकरण पर्षदीय पत्रांक— 2697, दि०— 26/03/18 एवं पत्रांक— 82, दि०— 16/04/19 का जबाब अबतक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पूर्व महंत द्वारा किया गया कोई पट्टा/रेहन/दान या केवाला पर्षद की अनुमति के बिना किया गया होगा, तो उसे आज की तिथि से समाप्त समझा जाये।

उपरोक्त परिस्थिति में पर्षदीय आदेश/निर्देश का पालन न करने, न्यास की आय-व्यय की विवरणी एवं पर्षद शुल्क जमा नहीं करने तथा न्यास सम्पत्तियों का हस्तान्तरण करने के कारण महंत रामानुजानंद को अधिनियम की धारा— 29 (2) (h) (iii) (v) (vi) के तहत न्यासधारी पद से अपसारित करते हुए अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक दि०— 29/04/17 द्वारा प्रस्तावित 11 सदस्यों की न्यास समिति अधिनियम की धारा— 32 के तहत गठित किया जाता है।

नवगठित न्यास समिति को निदेश दिया जाता है कि मठ की सम्पत्ति जो रेहन या पट्टा पर दी गयी है, उसे वापस लाने की कार्रवाई करें।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत “अध्यक्ष” को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “मड़वा अड़सनिया मठ, ग्राम+पो०- मड़वा, था०- पकरी वरावां, जिला- नवादा” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “मड़वा अड़सनिया मठ न्यास योजना, ग्राम+पो०- मड़वा, था०- पकरी वरावां, जिला- नवादा” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “मड़वा अड़सनिया मठ न्यास समिति, ग्राम+पो०- मड़वा, था०- पकरी वरावां, जिला- नवादा” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्वद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्वद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्वद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. श्री राम विलास यादव पिता- मुद्रिका यादव, ग्राम- मड़वा | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री रविन्द्र यादव पिता- स्व० प्रयाग यादव, ग्राम- मड़वा | — | सचिव |
| 3. श्री जवाहर लाल साव पिता- स्व० मोती साव, ग्राम- मड़वा | — | कोषाध्यक्ष |
| 4. श्री सहेन्द्र यादव पिता- श्री राम स्वरस यादव, ग्राम- मड़वा | — | सदस्य |
| 5. श्री राजेन्द्र रविदास पिता- स्व० दर्शन रविदास, ग्राम- मड़वा | — | सदस्य |
| 6. श्री भगीरथ पंडित पिता- श्री मुंशी पंडित, ग्राम- मड़वा | — | सदस्य |
| 7. श्री भुषण पाण्डेय पिता- स्व० शुखदेव पाण्डेय, ग्राम- मड़वा | — | सदस्य |
| 8. श्री अवधेश शर्मा पिता- स्व० छोटन शर्मा, ग्राम- मड़वा | — | सदस्य |
| 9. श्री चन्द्रिका यादव पिता- स्व० राधो यादव, ग्राम- मड़वा | — | सदस्य |
| 10. श्री तनिक पासवान पिता- महेन्द्र पासवान, ग्राम- अड़सनिया | — | सदस्य |
| 11. श्री विन्देश्वर यादव पिता- स्व० गया यादव, ग्राम- अड़सनिया | — | सदस्य |

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा।

नोट:- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 291-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>